विधान परिषद् के द्वितीय सत्र-2022 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-36 का उत्तर:-

<table>
<tr><th></th><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>36(क)</td><td>क्या उच्च शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि उ0प्र0 के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक समान परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है ?</td><td>जी हाँ।</td></tr>
<tr><td>(ख)</td><td>यदि हॉ, तो पाठ्यक्रमवार परीक्षा शुल्क का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?</td><td>उच्च शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2269/सत्तर-1-2022-16(50)/2021 टी0सी0 दिनांक 11-07-2022 द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क की समानता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में परीक्षा शुल्क निम्नवत् निर्धारित किया गया है:-
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>पाठ्यक्रम का नाम</th><th>प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क</th></tr>
<tr><td>1</td><td>बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काम, बी0बी0ए0, बी0सी0ए0, बी0एफ0ए0, बी0एड0, बी0पी0एड0, बी0जे0एम0सी0, बी0एफ0ए0, बी0वोक0</td><td>रू0 800/-</td></tr>
<tr><td>2</td><td>एल0एल0बी0, बी0एस0सी0 एग्रीकल्चर(आनर्स), विधि(आनर्स), बी0टेक0, बी0एस0सी0 बायोटेक, बी0लिब0</td><td>रू0 1000/-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>बी0डी0एस0, नर्सिंग, बी0ए0एम0एस0/ बी0यू0एम0एस0</td><td>रू0 1500/-</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ग)</td><td>क्या सरकारी विश्वविद्यालयों में निर्धारित परीक्षा शुल्क को प्राइवेट विश्वविद्यालयों में भी लागू करायेंगे ?</td><td>जी नहीं।</td></tr>
<tr><td>(घ)</td><td>यदि हॉ, तो उक्त आदेश कब तक जारी करायेंगे ?</td><td>प्रश्न नहीं उठता।</td></tr>
<tr><td>(ड.)</td><td>यदि नहीं, तो क्यों ?</td><td>उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत स्थापित निजी विश्वविद्यालय स्ववितपोषित विश्वविद्यालय हैं। इस सम्बन्ध में निजी विश्वविद्यालय के शुल्क निर्धारण के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण अधिनियम की धारा 48 में किया गया है।</td></tr>
</table>

योगेन्द्र उपाध्याय
मंत्री।